भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
BHARAT ELECTRONICS LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)

पंजीकृत व कार्पोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूरु - 560 045
Registered & Corporate Office: Outer Ring Road, Nagavara, Bengaluru – 560 045, CIN : L32309KA1954GOI000787

सूचना / N O T I C E

प्रति

सभी सदस्य

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सदस्यों की 61वीं वार्षिक सामान्य बैठक गुरुवार, दिनांक 3 सितंबर 2015 को पूर्वाह्न 10.30 बजे दि कलिंगा हॉल, होटल ललित अशोक, कुमार कृपा हाई ग्राउंड्स, बेंगलूरु - 560 001 में निम्नलिखित कारोबार संचालित करने हेतु आयोजित की जाएगी -

सामान्य कारोबार

1. (क) 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों और उसमें निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों पर विचार करने और उसे अपनाने हेतु ।
   (ख) 31 मार्च 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु कंपनी के लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे अपनाने हेतु ।
2. फरवरी, 2015 में पहले ही अदा किए गए ₹ 6 (छ रुपए मात्र) प्रति ईक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश संपुष्ट करने तथा ईक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करने हेतु ।
3. श्री पी. आर. आचार्या, जो चक्रानुक्रम से निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने हेतु ।
4. ले. जन. सी. ए. कृष्णन, जो चक्रानुक्रम से निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर एक निदेशक नियुक्त करने हेतु ।

विशेष कारोबार

5. **श्री जे राम कृष्ण राव की निदेशक के रूप में नियुक्ति**

   निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना, **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

   "संकल्प किया गया कि श्री जे राम कृष्ण राव, जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के प्रावधानों के तारतम्य में 7 नवंबर 2014 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने एक सदस्य से कंपनी के निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत अपेक्षित जमा राशि के साथ-साथ, लिखित में सूचना प्राप्त की

TO

ALL MEMBERS

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the 61st Annual General Meeting of the Members of Bharat Electronics Limited will be held on Thursday, 3 September 2015, at 10.30 a.m. at The Kalinga Hall, Hotel Lalit Ashok, Kumara Krupa High Grounds, Bengaluru - 560001 to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS

1. (a) To consider and adopt the audited financial statement of the Company for the financial year ended 31 March 2015 and the Reports of the Board of Directors and Auditors thereon.
   (b) To consider and adopt the audited consolidated financial statement of the Company for the financial year ended 31 March 2015 and Reports of Auditors thereon.
2. To confirm the Interim Dividend of ₹ 6 (Rupees six only) per equity share already paid in February, 2015 and to declare Final Dividend on Equity Shares.
3. To appoint a Director in place of Mr P R Acharya, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
4. To appoint a Director in place of Lt. Gen. C A Krishnan, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

5. **Appointment of Mr J Rama Krishna Rao as Director.**

   To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

   "RESOLVED THAT Mr J Rama Krishna Rao, who was appointed by Board of Directors of the Company in its meeting held on 07 November 2014 as Additional Director pursuant to the provisions of Section 161 of the Companies Act, 2013 to hold office upto the date of this Annual General Meeting of the Company and for the appointment of whom the Company has received a Notice in writing from a Member along with the deposit of the requisite amount under section 160 of the Companies Act, 2013 proposing his candidature for the office

है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए जो चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्ति होंगे ।"

6. **लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अधिनियम के अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पढ़ा जाना है (वर्तमान में उसमें किए गए किसी संशोधन (संशोधनों) या पुनःप्रवर्तन सहित), के तारतम्य में, 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत अभिलेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त मे. पीएसवी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 000304) को ₹ 400,000 (रुपए चार लाख मात्र) के पारिश्रमिक तथा लाग सेवा कर का भुगतान एवं फुटकर व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु कंपनी की सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।"

7. **कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी में बढ़ोत्तरी-**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 61 के प्रावधान तथा अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हों, जिन्हें उनके तहत बनाए गए कंपनी (शेयर पूंजी तथा ऋणपत्र) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाना है (सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या उनके पुनःप्रवर्तन, जो वर्तमान में लागू हैं, सहित) के तारतम्य में, कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी को विद्यमान ₹ 1,000,000,000 (रुपए एक सौ करोड़ मात्र) जो ₹ 10 (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के 100,000,000 (दस करोड़ मात्र) ईक्विटी शेयरों में विभाजित है, ₹ 10 (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के अतिरिक्त 150,000,000 (पंद्रह करोड़ मात्र) ईक्विटी शेयर सृजित करते हुए, से बढ़ाकर ₹ 250,000,000 (रुपए दो सौ पचास करोड़ मात्र) जो ₹ 10 (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के 250,000,000 (पच्चीस करोड़ मात्र) ईक्विटी शेयरों में विभाजित है, किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है जो कंपनी के विद्यमान शेयरों के साथ-साथ श्रेणीकृत होंगे ।"

8. **संस्था के बहिर्नियम में पूँजी खंड में परिवर्तन**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 और 61 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधान तथा उनके तहत बनाए गए नियमों (सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या उनके पुनःप्रवर्तन, जो वर्तमान में लागू हैं, सहित) के तारतम्य में, कंपनी के संस्था के बहिर्नियम के खंड V में परिवर्तन किया जाए और एतद्द्वारा परिवर्तन किया जाता है और उसे निम्नलिखित से स्थानापित किया जाए -

of Director of the Company, be appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation."

6. **Ratification of remuneration of the Cost Audito**r

To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to Section 148 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules thereunder, (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), consent of the Company be and is hereby accorded for the payment of remuneration of ₹ 400,000 (Rupees four lakhs only) plus applicable service tax and reimbursement of out of pocket expenses to M/s PSV & Associates, Cost Accountants, (Firm Registration No. 000304) appointed by the Board of Directors of the Company as Cost Auditors to conduct the audit of cost records of the Company for the financial year ending on 31 March 2016."

7. **Increase in Authorised Share Capital of the Company:**

To consider and, if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 61 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014 framed thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), the Authorised Share Capital of the Company be and is hereby increased from the existing ₹ 1,000,000,000 (Rupees one hundred crores only) divided into 100,000,000 (Ten crores only) Equity Shares of ₹ 10 (Rupees ten only) each to ₹ 2,500,000,000 (Rupees two hundred and fifty crores only) divided into 250,000,000 (Twenty five crores only) Equity Shares of ₹ 10 (Rupees ten only) each by creation of additional 150,000,000 (Fifteen crores only) Equity Shares of ₹ 10 (Rupees ten only) each which shall rank pari passu with the existing shares of the Company."

8. **Alteration of the Capital Clause in the Memorandum of Association**

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT, pursuant to the provisions of Sections 13 and 61 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Clause V of the Memorandum of Association of the Company be and is hereby altered and substituted by the following :

V. कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹ 2,500,000,000 (रुपए दो सौ पचास करोड़ मात्र) है जो कंपनी के अंतर्नियमों में दिए गए अनुसार उसके साथ संलग्न अधिकार, विशेषाधिकार तथा शर्तों जिन्हें कंपनी की पूँजी को बढ़ाने या घटाने तथा जिन्हें वर्तमान में पूँजी के शेयरों को अनेक खंडों में विभाजित करने और उनमें क्रमश: ऐसे अधिमान, आस्थगित, गारंटीकृत, अर्ह या विशेष अधिकार, विशेषाधिकार एवं शर्तें संलग्न करने जो कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा या उनके अनुसार निर्धारित होंगे तथा ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार या शर्त को कंपनी के अंतर्नियमों द्वारा वर्तमान में जिस प्रकार प्रदान किया गया है, उस प्रकार बदलने, संशोधित करने, समामेलित करने या निराकरण करने के लिए, के साथ ₹ 10 (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के 250,000,000 (पच्चीस करोड़ मात्र) शेयरों में विभाजित हैं ।

आगे संकल्प किया गया कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले तथा बातें जिसमें यथोचित प्राधिकारियों के साथ आवश्यक फार्म / दस्तावेज भरना शामिल है, करने के लिए तथा ऐसे सभी विलेख, दस्तावेज, प्रपत्र तथा लिखित सामग्री जिन्हें जिसके एकमात्र तथा अनय विवेक से आवश्यक या अत्यावश्यक समझा जाए, निष्पादित करने के लिए तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निराकरण करने के लिए तथा यहाँ प्रदत्त अपनी सभी या किसी एक शक्ति को अपने निदेशकों, कंपनी के कंपनी सचिव या किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।"

9. **संस्था के अंतर्नियम में पूँजी खंड में परिवर्तन**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधान तथा उनके तहत बनाए गए नियमों (सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या उनके पुन:प्रवर्तन, जो वर्तमान में लागू हैं, सहित) के तारतम्य में, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 5 जो प्राधिकृत शेयर पूँजी से संबंधित है, में परिवर्तन किया जाए और एतद्द्वारा परिवर्तन किया जाता है और उसे निम्नलिखित से स्थानापित किया जाए -

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी कंपनी के बहिर्नियम के खंड V में बताए गए अनुसार होगी ।

आगे संकल्प किया गया कि उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले तथा बातें जिसमें यथोचित प्राधिकारियों के साथ आवश्यक फार्म / दस्तावेज भरना शामिल है, करने के लिए तथा ऐसे सभी विलेख, दस्तावेज, प्रपत्र तथा लिखित सामग्री जिन्हें जिसके एकमात्र तथा अन्य विवेक से आवश्यक या अत्यावश्यक समझा जाए, निष्पादित करने के लिए तथा इस संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निराकरण करने के लिए तथा यहाँ प्रदत्त अपनी सभी या किसी एक

V. The authorised Share Capital of the Company is ₹ 2,500,000,000 (Rupees two hundred and fifty crores only) divided into 250,000,000 (Twenty five crores only) shares of ₹ 10 (Rupees ten only) each with the rights, privileges and conditions attaching thereto as may be provided by the Articles of Association of the Company for the time being, with power to increase and reduce the Capital of the Company and to divide the shares in the Capital for the time being into several clauses and to attach thereto respectively such preferential, deferred, guaranteed, qualified or special rights, privileges and conditions as may be determined by or in accordance with the Articles of Association of the Company and to vary, modify, amalgamate or abrogate any such rights, privileges or conditions in such manner as may for the time being be provided by the Articles of Association of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board of Directors of the Company, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things including filing of necessary forms/ documents with the appropriate authorities and to execute all such deeds, documents, instruments and writings as it may in its sole and absolute discretion deem necessary or expedient and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard thereto and to delegate all or any of its powers herein conferred to its Directors, Company Secretary or any other officer(s) of the Company."

9. **Alteration of the Capital Clause of the Articles of Association**

To consider and, if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT, pursuant to the provisions of Section 14 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules issued there under (including any statutory modification(s) or re-enactment thereof for the time being in force), Article 5 of the Articles of Association of the Company relating to authorised Share Capital be and is hereby altered and substituted by the following:

The authorised share capital of the Company shall be as stated in Clause V of the Memorandum of Association of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board of Directors of the Company, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things including filing of necessary forms/ documents with the appropriate authorities and to execute all such deeds, documents, instruments and writings as it may in its sole and absolute discretion deem necessary or expedient and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in

शक्ति को अपने निदेशकों, कंपनी के कंपनी सचिव या किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।"

10. **बोनस शेयरों को जारी करने के लिए अनुमोदन**

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 63 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधान, जिन्हें कंपनी (शेयर पूँजी और ऋणपत्र) नियम, 2014 (सांविधिक संशोधन (संशोधनों) या उनके पुनःप्रवर्तन, जो वर्तमान में लागू हैं, सहित) के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के विनियमों तथा दिशा-निर्देशों की शर्त पर तथा यथा आवश्यक लागू विनियामक प्राधिकारियों की सहमति शामिल हैं, तथा कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के तत्संबंधी प्रावधानों तथा कंपनी के निदेशक मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद 'मंडल' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में मंडल द्वारा उसकी ओर से विधिवत् गठित या प्राधिकृत निदेशकों की समिति को शामिल माना जाएगा) की सिफारिशों के तारतम्य में, तथा इस संबंध में यथा आवश्यक अनुमति, मंजूरी और अनुमोदनों की शर्त पर, कंपनी के विद्यमान ईक्विटी शेयरों को धारित करने वाले सदस्य जिनके नाम मंडल द्वारा इस संबंध में तय की गई रिकार्ड तारीख को नेशनल सेक्योरिटीज़ डिपाज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से यथा प्राप्त, सदस्यों द्वारा धारित ₹ 10 (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के प्रत्येक 1 (एक) विद्यमान ईक्विटी शेयर के लिए ₹ 10 (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के 2 (दो) ईक्विटी शेयर के अनुपात में यानी 2:1 के अनुपात में (प्रत्येक धारित शेयर के लिए दो बोनस शेयर), कंपनी द्वारा रखे गए रजिस्टर / हिताधिकारियों की सूची में दर्शित होते हैं, को पूर्ण चुकता ईक्विटी शेयर के रूप में जारी किए जाने वाले / क्रेडिट किए जाने वाले ₹ 10 (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के बोनस ईक्विटी शेयरों को जारी करने के प्रयोजनार्थ, कंपनी के मुक्त प्रारक्षण तथा अधिशेष में जमा ₹ 1,600,000,000 (रुपए एक सौ साठ करोड़ मात्र) के पूंजीकरण हेतु मंडल को कंपनी के सदस्यों की सहमति प्रदान की जाए और एतद्द्वारा प्रदान की जाती है ।

आगे संकल्प किया गया कि बोनस शेयरों के रूप में इस प्रकार आबंटित ईक्विटी शेयर कंपनी के विद्यमान पूर्ण चुकता ईक्विटी शेयरों के साथ हर प्रकार से साथ-साथ श्रेणीकृत होंगे और कंपनी के संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों के प्रावधानों पर निर्भर करेंगे ।

आगे संकल्प किया गया कि आबंटिती जो अपने विद्यमान ईक्विटी शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे हैं, को बोनस शेयरों के लिए कोई आबंटन पत्र जारी नहीं किए जाएँगे क्योंकि बोनस शेयर निर्धारित समय अवधि के भीतर या इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित अवधि में उनके संबंधित डीमैट खातों में जमा किए जाएँगे ।

regard thereto and to delegate all or any of its powers herein conferred to its Directors, Company Secretary or any other officer(s) of the Company."

10. **Approval for the issue of Bonus Shares**

To consider and if thought fit, to pass, with or without modification(s), the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 63 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with Rule 14 of the Companies (Share Capital & Debentures) Rules, 2014 (including any statutory modifications or re-enactment thereof for the time being in force) and subject to the regulations and guidelines issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), and consent of applicable regulatory authorities as may be required and pursuant to the relevant provisions of Articles of Association of the Company and the recommendation of the Board of Directors of the Company (hereinafter referred to as 'the Board', which expression shall be deemed to include a Committee of Directors duly constituted or authorised by the Board in this behalf), and subject to such permissions, sanctions and approvals as may be necessary in this regard, consent of the Members of the Company be and is hereby accorded to the Board for capitalisation of ₹ 1,600,000,000 (Rupees one hundred sixty crores only) standing to the credit of the free reserves and surplus of the Company, as may be considered necessary by the Board, for the purpose of issuance of Bonus Equity Shares of ₹ 10 (Rupee Ten only) each to be issued/credited as fully paid-up Equity Shares to the holders of the existing Equity Shares of the Company, whose names appear in the Register of Members maintained by the Company/List of Beneficial Owners, as received from the National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL), on such record date as may be fixed in this regard by the Board, in the proportion of 2 (two) Equity Shares of ₹ 10 (Rupees ten only) each fully paid-up for every 1 (one) existing Equity Share of ₹ 10 (Rupees ten only) each held by the Members, i.e. in the ratio of 2:1 (two bonus shares for every share held).

RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares so allotted as bonus shares shall rank pari passu in all respects with the existing fully paid up Equity Shares of the Company and shall be subject to the provisions of Memorandum and Articles of Association of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT no allotment letters shall be issued to the allottees for Bonus Shares who hold their existing Equity Shares in electronic form, as Bonus Shares shall be credited to their respective demat accounts within the period prescribed or that may be prescribed on this behalf, from time to time.

आगे संकल्प किया गया कि ऐसे शेयरधारक जो अपने विद्यमान ईक्विटी शेयर को भौतिक रूप में धारित करते हैं, के लिए बोनस शेयरों के संबंध में शेयर प्रमाण-पत्र तैयार कर निर्धारित अवधि के भीतर या इस संबंध में समय-समय पर निर्धारित अवधि में भेजे जाएँगे ।

आगे संकल्प किया गया कि उक्त बोनस शेयर जहाँ तक अप्रवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/समुद्रपार कार्पोरेट निकाय (ओसीबी) तथा कंपनी के अन्य विदेशी निवेशकों से संबंधित है, उनका जारी किया जाना और आबंटन किया जाना विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) तथा यथा अपेक्षित एवं आवश्यक किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन पर निर्भर करेगा ।

आगे संकल्प किया गया कि स्टॉक एक्सचेंज जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, को बोनस शेयरों का सूचीकरण का आवेदन करने के लिए तथा आबंटितियों के अपने डिपोज़िटरी खातों में बोनस शेयरों को जमा करने के लिए नेशनल सेक्योरिटीज़ डिपाज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को आवश्यक आवेदन करने के लिए, तथा यहाँ प्रदत्त सभी शक्तियों या किसी एक शक्ति को उसके निदेशकों, कंपनी के कंपनी सचिव या किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

आगे संकल्प किया गया कि उक्त संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक अन्य सभी उपाय करने के लिए तथा मंडल द्वारा अपने विवेक द्वारा जैसा उपयुक्त माना जाए बोनस शेयरों को जारी करने के अन्य सभी निबंधन व शर्तों को तय करने के लिए मंडल को प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।”

मंडल के आदेशानुसार,
कृते **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड**

बेंगलूरु
24 जुलाई 2015

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

नोट

1. यथा उपरोक्त विशिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 102 के तारतम्य में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है और इस सूचना का भाग है।

2. वार्षिक सामान्य बैठक (“बैठक”) में सम्मिलित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य उनकी ओर से सम्मिलित होने और मतदान करने के लिए परोक्षी नियुक्त करने के हकदार हैं और परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है । बहरहाल, परोक्षी को नियुक्त करने के विलेख को बैठक के प्रारंभ होने से पहले, किंतु 48 घण्टों से पहले नहीं, विधिवत् पूर्ण रूप से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

3. बैठक में सम्मिलित होने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजने का आशय रखने वाले कार्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति कंपनी को भेजें ।

RESOLVED FURTHER THAT for the shareholders who hold their existing Equity Shares in physical form, the share certificate(s) in respect of the Bonus Shares shall be completed and thereafter be dispatched within the period prescribed or that may be prescribed on this behalf, from time to time.

RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of the said Bonus Shares to the extent that they relate to Non-Resident Indians (NRIs), Persons of Indian Origin (PIO) / Overseas Corporate Bodies (OCBs) and other foreign investors of the Company, will be subject to the approval of the Reserve Bank of India (RBI) under the Foreign Exchange Management Act, 1999 and Regulations thereunder, as amended from time to time, and any other regulatory authority, as may be required & necessary.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to apply for Listing of Bonus Shares to the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed and to make necessary application with the National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) for crediting the Bonus Shares to the individual Depository accounts of the allottees and to delegate all or any of its powers herein conferred to its Directors, Company Secretary or any other officer(s) of the Company.

RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to take all other steps as may be necessary to give effect to the aforesaid resolution and determine all other terms and conditions of the issue of bonus shares as the Board may in its absolute discretion deem fit.”

By order of the Board,
For **Bharat Electronics Limited**

Bengaluru
24 July 2015

S Sreenivas
Company Secretary

NOTE

1. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013 (the Act), in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice.

2. A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the “Meeting”) is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing a proxy should, however, be deposited at the Registered Office of the Company duly completed, not less than 48 hours before the commencement of the Meeting.

3. Corporate Members intending to send their authorised representatives to attend the Meeting are requested to send to the Company a certified copy of the Board Resolution authorising their representative to attend and vote on their behalf at the Meeting.

4. अधिनियम की धारा 101 तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के परिप्रेक्ष्य में, वार्षिक सामान्य बैठक की यह सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन सहित अन्य दस्तावेज ईमेल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे शेयरधारकों को भेजे जा रहे हैं, जिन्होंने अपने डीमैट खातों में ईमेल का पता दिया है ।

बहरहाल, सदस्य कृपया नोट करें कि वे आवश्यकता प्राप्त करने पर, लाभ व हानि के विवरण और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित कंपनी के तुलन-पत्र और उसके साथ संलग्न किए जाने वाले सभी दस्तावेजों की हार्ड प्रति निःशुल्क प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे ।

दस्तावेज भौतिक रूप में प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य कंपनी के पंजीयक, मे. इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस (इंडिया) लि. को डीमैट खाते के ब्यौरे विधिवत् देते हुए यथाशीघ्र सूचित करें । वैकल्पिक रूप से, अपने डीमैट खाते के ब्यौरे को विधिवत् उद्धत् करते हुए अनुरोध को ईमेल आईडी irg@integratedindia.in पर ईमेल द्वारा भेजा जा सकता है ।

कंपनी इन दस्तावेजों को शेयरधारकों के अवलोकनार्थ एवं उनके द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट यानी www.bel-india.com पर भी उपलब्ध कराएगी । साथ ही, वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रतियाँ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कार्य घण्टों के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी ।

5. अधिनियम की धारा 170 के तहत रखी गई, निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा उनकी शेयरधारिता की पंजी वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध होगी ।

6. इस सूचना में संदर्भित सभी दस्तावेज तथा व्याख्यात्मक विवरणी इस सूचना की तारीख से वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रातः 10 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक सदस्यों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध होगी ।

7. ईक्विटी शेयरों पर लाभांश, यदि बैठक में घोषित किया जाए, के लिए पात्र सदस्यों के नामों को निर्धारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बही को दिनांक 12 अगस्त 2015 से 14 अगस्त 2015 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रखा जाएगा ।

8. वर्ष 2014-15 हेतु अंतिम लाभांश, यदि बैठक में घोषित हो, घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को प्रदेय होगा जिनके नाम यथा 11 अगस्त, 2015 को कंपनी के सदस्यों की पंजी में प्रकट होते हैं ।

कंपनी जहाँ कहीं संभव हो, लाभांश भुगतान ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस) द्वारा तथा अन्य मामलों में लाभांश वारंट / बैंक मांग पत्र द्वारा करेगी । इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में, लाभांश का भुगतान यथा 11 अगस्त 2015 को कारोबारी घण्टों की समाप्ति पर इस प्रयोजन हेतु निक्षेपकर्ताओं (एन एस डी एल तथा सी डी एस एल) द्वारा दिए गए हिताधिकारी स्वामित्व ब्यौरों के आधार पर किया जाएगा । इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि उनके संबंधित निक्षेपागार खातों के समक्ष दर्ज बैंक विवरणों का प्रयोग कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान हेतु किया जाएगा । कंपनी या इसके पंजीयक बैंक संबंधी विवरणों या बैंक आज्ञा में किसी परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी

4. In terms of Section 101 of the Act and Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, this Notice of AGM and other documents including the Annual Report are being sent in electronic mode by e-mail to those shareholders who have furnished their e-mail address in their demat accounts.

However, Members may please note that they will be entitled to a hard copy of Balance Sheet of the Company and all attachments thereto, including the Statement of Profit and Loss and Auditors' Report, upon receipt of a requisition, free of cost.

Members interested to receive the documents in physical form may please give the intimation to the Company's Registrars, M/s. Integrated Enterprises (India) Ltd. at the earliest, duly quoting the Demat A/c details. Alternatively, the request, duly quoting the Demat A/c details, may be sent by email at e-mail ID: irg@integratedindia.in

The Company would also make available these documents on the Company's website viz. www.bel-india.com for perusal and download by the shareholders. Also, the physical copies of Annual Report would be available at the Registered Office of the Company for inspection during office hours.

5. The Register of Directors and Key Managerial Personnel and their shareholding, maintained under Section 170 of the Act, will be available for inspection by the Members at the AGM.

6. All the documents referred to in this Notice and the Explanatory Statement will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company between 10.00 am and 4.00 pm on all working days from the date of this Notice upto the date of the AGM.

7. The Company's Register of Members and Share Transfer Books will be closed from 12 August 2015 to 14 August 2015 (both days inclusive) for determining the names of members eligible for dividend on Equity shares, if declared at the Meeting.

8. The Final Dividend for the year 2014-15, if declared at the Meeting, will be payable within 30 days from the date of declaration, to those members whose names appear on the Company's Register of Members as on 11 August 2015.

Company will be making the dividend payment by ECS (Electronic Clearing Services), wherever possible and by dividend warrant / Bank demand drafts in other cases. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details furnished by the Depositories (NSDL & CDSL), as at the close of business hours on 11 August 2015, for this purpose. Members holding shares in electronic form may note that bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. The Company or its Registrars cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or

अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं । ऐसे परिवर्तनों को सदस्यों के निक्षेपागार सहभागी को ही सूचित किया जाना है । जिन सदस्यों ने निक्षेपागार खाता खोलने के बाद अपना बैंक खाता परिवर्तित किया है और निक्षेपागार खाता खोलते समय विनिर्दिष्ट खाते के अलावा खाते में लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे 7 अगस्त, 2015 से पहले अपने निक्षेपागार सहभागी से अपना बैंक खाते के ब्यौरे (नौ अंकों के बैंक कूट सहित) में परिवर्तन / सुधार कर लें ।

9. वर्ष 2014-15 के दौरान, कंपनी ने अदत्त लाभांश खाते से ₹ 117,448 की राशि को कोष में अंतरित किया है (2006-07 के अंतिम लाभांश का ₹ 76,888 और वर्ष 2007-08 के अंतरिम लाभांश का ₹ 40,560)। वर्ष 2007-2008 के लिए दावा न किए गए / अदत्त लाभांश और वर्ष 2008-09 के लिए अंतरिम लाभांश वर्ष 2015-16 में निधि में अंतरित करने हेतु नियत है । इसे कार्यावित करने और राशि प्राप्त करने के लिए संबंधित शेयरधारकों को सूचनाएँ भेज दी गई हैं । कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.bel-india.com में "निवेशकों के लिए सूचना" नामक एक पृथक पृष्ठ में 2007-08 से लेकर अब तक के लाभांश भुगतान के ब्यौरे तथा अदत्त लाभांश का दावा करने की मार्गदर्शी सूचना लगाई है । शेयरधारकों से निवेदन है कि वे अदत्त / दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए इसमें दिए गए फार्म का प्रयोग करें ।

10. कंपनी के लेखों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न, लिखित में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ऐसे भेजें कि वे बैठक से कम से कम 7 दिनों पहले पहुँच जाएँ ताकि अपेक्षित सूचना बैठक में उपलब्ध हो सके ।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक प्रतिवेदन और सूचना की अपनी प्रतियाँ बैठक में साथ लेकर लाएँ ।

12. बैठक में सम्मिलित हो रहे सदस्यों / परोक्षियों से अनुरोध है कि वे संलग्न उपस्थिति पर्ची भरकर उसे बैठक के प्रवेश स्थल पर सुपुर्द करें ।

13. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में ऊपर होंगे, मतदान करने के हकदार होंगे ।

14. शेयरों को भौतिक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में कंपनी के पंजीयक व अंतरण एजेंट मेसर्स इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस (इंडिया) लि., 30, रमणा रेसिडेंसी, भूतल, 4था क्रास, संपिगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूर-560003, दूरभाष 080-23460815-18, फैक्स 080-23460819 को लिखित सूचना भेजते हुए तुरंत सूचित करें । शेयरों को डीमैट रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित निक्षेपागार सहभागियों से संपर्क करें जिनके साथ उन्होंने डीमैट खाता खोला है और पते में हुए परिवर्तन को दर्ज करा लें ।

15. जो शेयरधारक अब तक शेयरों को भौतिक रूप में धारित करते हैं उन्हें यह परामर्श दिया जाता है कि वे शेयर प्रमाण-पत्रों के खो जाने / गलत स्थान पर रखे जाने / चोरी / जालसाजी से पैदा होने वाली परेशानियों से बचने के लिए अपने हित में शेयरों को डीमैट करा लें । कंपनी ने शेयरधारकों को बी ई एल के शेयरों को

bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. Members who have changed their bank account after opening the Depository Account and want to receive dividend in an account other than the one specified while opening the Depository Account, are requested to change/correct their bank account details (including the nine digit Bank code) with their Depository Participant, before 7 August 2015.

9. During the year 2014-15, the Company transferred to the Fund an amount of ₹ 117,448 from the Unpaid Dividend Account (₹ 76,888, of final dividend 2006-07 and ₹ 40,560 of interim dividend 2007-08). The unclaimed/ unpaid final dividend for the year 2007-08 and interim dividend for the year 2008-09 are due for transfer to the Fund in 2015-16. Notices to this effect have been sent to the respective shareholders to enable them to claim and receive the amount. The Company has posted on its website www.bel-india.com in a separate page titled "Information for Investors" the details of dividend payment since 2007-08 onwards and guidance information for claiming unpaid dividend. Shareholders are requested to make use of the claim form provided there to claim unpaid/ unclaimed dividend.

10. Members desirous of getting any information in respect of Accounts of the Company are requested to send their queries, in writing, to the Company at the Registered Office so as to reach at least 7 days before the Meeting so that the required information can be made available at the Meeting.

11. Members are requested to bring their copies of the Annual Report and the Notice to the Meeting.

12. Members/Proxies attending the Meeting are requested to complete the enclosed Attendance Slip and deliver the same at the entrance of the meeting venue.

13. In case of joint holders attending the Meeting, only such joint holder who is higher in the order of names will be entitled to vote.

14. Members holding shares in physical form are requested to notify to the Company's Registrars and Transfer Agent, M/s Integrated Enterprises (India) Ltd., 30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru – 560003, Tel. 080-23460815-18, Fax. 080-23460819 immediately any change in their address, by sending a written communication. Members who are holding shares in demat form are requested to contact the respective Depository Participants with whom they have opened the Demat Account and get the change of address recorded.

15. Members still holding shares in physical form are advised to dematerialise the shares in their own interest to avoid difficulties arising from loss/misplacement/theft/forgery of share certificates. Company has entered into agreements with both the depositories, viz. NSDL and CDSL to enable the

डीमैट कराने हेतु दोनों निक्षेपागारों अर्थात् एन एस डी एल और सी डी एस एल के साथ करार किए हैं । सदस्य इस संबंध में कृपया पंजीयक व अंतरण एजेंट, मेसर्स इंटीग्रेटेड इंटरप्राइजेस (इंडिया) लि. से संपर्क करें ।

16. कंपनी ने अपने सदस्यों को राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोज़िटरी लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक मतदान सेवा सुविधा के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की सुविधा प्रदान की है । मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की सुविधा भी वार्षिक सामान्य बैठक में उपलब्ध कराई जाएगी और इस बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य जिन्हें सुदूर ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया है, वे इस मतपत्र द्वारा बैठक में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे ।ऐसे सदस्य जिन्होंने इस बैठक से पहले सुदूर ई-मतदान द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, वे इस बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वे दोबारा मतदान करने के हकदार नहीं होंगे । ई-मतदान के अनुदेश इस नोटिस के संलग्नक में दिए गए हैं ।

सुदूर ई-मतदान के लिए अनुदेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 जिसे कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन, नियम 2015 द्वारा स्थानापित किया गया है, और सूचीकरण करार के खंड 35बी के अनुपालन में, कंपनी गुरुवार, 3 सितंबर 2015 को, पूर्वाह्न 10.30 बजे आयोजित होने वाली 61वीं वार्षिक सामान्य बैठक आहूत करने की सूचना में निर्धारित सभी संकल्पों पर अपने सदस्यों को अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से करने की सुविधा सहर्ष प्रदान करती है । कंपनी ने सुदूर ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपोज़िटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएँ प्राप्त की हैं ।

सुदूर ई-मतदान सुविधा www.evoting.nsdl.com लिंक में उपलब्ध है ।

कृपया अपने मताधिकार का प्रयोग करने से पहले नीचे मुद्रित अनुदेशों को पढ़ें ।

ये ब्यौरे तथा अनुदेश 3 सितंबर 2015 को होने वाली 61वीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना का अभिन्न भाग बनते हैं ।

सुदूर ई-मतदान की सुविधा निम्नलिखित मतदान अवधि के दौरान उपलब्ध होगी -

सुदूर ई-मतदान का प्रारंभ	सुदूर ई-मतदान की समाप्ति
31 अगस्त 2015 को सुबह 9:00 बजे, आईएसटी	2 सितंबर 2015 को अपराह्न 5:00 बजे, आईएसटी

सुदूर ई-मतदान के अनुदेश इस प्रकार हैं -

सुदूर ई-मतदान करने के कदम -

I. सदस्य जिनकी शेयरधारिता डीमटीयलीकृत फार्म में हैं तथा जिनके ई-मेल एड्रेस कंपनी / डिपोज़िटरी सहभागी (सहभागियों) के पास दर्ज किए गए हैं, को एनएसडीएल से ई-मेल प्राप्त होगा जिसमें यूज़र-आईडी तथा पासवर्ड सूचित किए जाएँगे ।

   1. ई-मेल खोलें और अपने क्लाइंट आईडी या फोलियो संख्या को पासवर्ड बनाते हुए पीडीएफ फाइल यानी "Bharat Electronics Limited remote e-voting.pdf" खोलें । इस पीडीएफ फाइल में सुदूर ई-मतदान के लिए आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा । कृपया नोट करें कि यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड/पिन है, जिसे सदस्य बदल सकते हैं ।

shareholders to dematerialise BEL shares. In this connection, Members may please contact the Registrar and Transfer Agent, M/s Integrated Enterprises (India) Ltd.

16. The Company has provided a facility to the Members to exercise their votes electronically through the electronic voting service facility arranged by National Securities Depository Limited. The facility for voting, through ballot paper, will also be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not already cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM through ballot paper. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may attend the AGM but shall not be entitled to cast their votes again. The instructions for e-voting are annexed to the Notice.

Instructions for remote e-voting

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013, Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, substituted by Companies (Management and Administration) Amendment, Rules 2015, and Clause 35B of the Listing Agreement, the Company is pleased to offer remote e-voting facility to the Members to cast their votes electronically on all resolutions set forth in the Notice convening the 61st Annual General Meeting to be held on the Thursday, 3 September 2015 at 10.30 A.M. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide the remote e-voting facility.

The remote e-voting facility is available at the link www.evoting.nsdl.com

Please read the instructions printed below before exercising your vote.

These details and instructions form an integral part of the Notice for the 61st Annual General Meeting to be held on 3 September 2015.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period:

Commencement of remote e-voting	End of remote e-voting
31 August 2015 at 9:00 A.M. IST	2 September 2015 at 5:00 P.M. IST

The instructions for remote e-voting are as under :

Steps for remote e-voting:

I. Members whose shareholding is in the dematerialised form and whose e-mail addresses are registered with the Company / Depository Participants(s) will receive an e-mail from NSDL informing the User-ID and Password.

   1. Open e-mail and open PDF file viz.; "Bharat Electronics Limited remote e-voting.pdf" with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password/PIN for remote e-voting. Please note that the password is an initial password, which the member may change.

2. इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और निम्नलिखित यूआरएल टाइप करें - https://www.evoting.nsdl.com
3. शेयरधारक - लॉगिन पर क्लिक करें ।
4. यदि आप सुदूर ई-मतदान करने के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं, तो लॉगिन करने के लिए आप अपने विद्यमान यूज़र आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं ।
5. यदि आप पहली बार लॉगिंग कर रहे हैं, तो कृपया कदम (1) में बताए गए प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में यूज़र आईडी और पासवर्ड/पिन को प्रविष्ट करें । लॉगिन पर क्लिक करें।
6. पासवर्ड चेंज का मेन्यु प्रकट होगा । अपनी पसंद के नए पासवर्ड से पासवर्ड/पिन बदलें जिसमें कम से कम 8 अंकों / अक्षरों का सम्मिश्रण हो । इस नए पासवर्ड को नोट कर लें । आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय बनाए रखने के लिए अत्यधिक ध्यान रखें ।
7. सुदूर ई-मतदान का होम पेज खुलेगा । रिमोट ई-वोटिंग - एक्टिव वोटिंग साइकल्स पर क्लिक करें ।
8. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के “EVEN” (सुदूर ई वोटिंग इवेंट नंबर) को सेलेक्ट करें । नंबर प्रविष्ट करने के बाद, मताधिकार का प्रयोग करें पेज खुलेगा । अब आप मतदान कर सकते हैं ।
9. मताधिकार का प्रयोग करें - पेज खुलते ही अब आप सुदूर ई-मतदान के लिए तैयार हैं ।
10. अपने पसंद का विकल्प चुनते हुए और सबमिट पर क्लिक करते हुए अपना मतदान करें । कन्फर्म का मेन्यू आते ही उस पर क्लिक करें । कृपया नोट करें कि आपका मतदान चयनित संकल्प पर किया गया है और उसे संशोधित नहीं किया जा सकेगा ।
11. कन्फर्म करने के बाद, “Vote cast successfully” संदेश प्रदर्शित होगा ।
12. संस्थागत सदस्यों (यानी व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को विधिवत् प्राधिकृत हस्ताक्षरी जो मतदान करने के लिए प्राधिकृत हैं, के हस्ताक्षर के अधिप्रमाणित नमूनों के साथ-साथ संबंधित मंडल संकल्प / प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति स्क्रूटिनाइज़र को (pdf/jpg फार्मेट) gthirupal@gmail.com को तथा उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को ई-मेल द्वारा भेजनी है ।

II. ऐसे सदस्य जो शेयरों को डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं जिनके ई-मेल आईडी कंपनी / डिपोज़िटरी सहभागियों के पास दर्ज नहीं हैं, ऐसे सदस्य जो शेयरों को भौतिक रूप में धारित करते हैं तथा ऐसे सदस्य जिन्होंने सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रति का अनुरोध किया है, निम्नलिखित अनुदेश नोट करें -

1. वार्षिक सामान्य बैठक के लिए उपस्थिति पर्ची के नीचे प्रारंभिक पासवर्ड इस प्रकार दिया गया है -

   EVEN (सुदूर ई वोटिंग इवेंट नंबर संख्या) **यूज़र आईडी पासवर्ड**

2. अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए कृपया उपर्युक्त (I) में क्र.सं. 1 से क्र.सं. 13 तक के सभी कदमों का पालन करें ।

2. Open the internet browser and type the following URL: https://www.evoting.nsdl.com
3. Click on Shareholder – Login.
4. If you are already registered with NSDL for remote e-voting, then you can use your existing User ID and Password for Login.
5. If you are logging for the first time, please enter the User ID and Password as initial password/PIN noted in step (1) above. Click Login.
6. Password change menu appears. Change the password/ PIN with new password of your choice with minimum 8 digits / characters or combination thereof. Note new password. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
7. Home page of remote e-voting opens. Click on remote e-voting: Active Voting Cycles.
8. Select “EVEN” (remote E-Voting Event Number) of Bharat Electronics Limited. Once you enter the number, the Cast Vote page will open.
9. Now you are ready for remote e-voting as Cast Vote page opens.
10. Cast your vote by selecting your favoured option and clicking Submit. Also click Confirm when prompted. Please note that once your vote is cast on the selected resolution, it cannot be modified.
11. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
12. Institutional Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (pdf/jpg format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory(ies) who are authorised to vote, to the Scrutinizer through e-mail to gthirupal@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

II. For Members holding shares in dematerialised form whose email IDs are not registered with the Company/Depository Participants, Members holding shares in physical form as well as those Members who have requested for a physical copy of the Notice and Annual Report, the following instructions may be noted:

1. Initial password is provided as below at the bottom of the Attendance Slip for the AGM:

   EVEN (remote E-Voting Event Number) **USER ID PASSWORD**

2. Please follow all steps from Sr. No. 1 to Sr. No. 13 in (I) above, to cast vote.

सामान्य अनुदेश

1. यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है तो शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड करने योग्य भाग में उपलब्ध सदस्यों के सुदूर ई-मतदान प्रयोक्ता मैनुअल का संदर्भ लें \या फ़ोन नंबर No.022-24994600/1800222990 पर एनएसडीएल से संपर्क करें ।
2. ई-मतदान वेबसाइट पर लॉगिन करने के लगातार पाँच असफल प्रयास के बाद वेबसाइट निष्क्रिय हो जाएगी । ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड दोबारा सेट करने के लिए साइट में उपलब्ध 'Forgot Password' विकल्प से आगे बढ़ना होगा ।
3. यदि आप सुदूर ई-मतदान करने के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आप अपने विद्यमान यूज़र आईडी और पासवर्ड/पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं ।
4. आप फोलियो के यूज़र प्रोफाइल ब्यौरे में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अद्यतन भी कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल भावी सम्प्रेषण भेजने के लिए किया जा सकता है ।
5. सुदूर ई-मतदान की अवधि 31 अगस्त 2015 (सुबह 9 बजे) से शुरू होगी और 2 सितंबर 2015 (अपराह्न 5 बजे) को समाप्त होगी । इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य जो शेयरों को भौतिक रूप में या डीमटीरियलीकृत रूप में धारित करते हैं, 27 अगस्त 2015 की निर्दिष्ट तारीख को, अपने मताधिकार का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं । उसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा सुदूर ई-मतदान का मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा । सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर मतदान का प्रयोग कर लिए जाने के बाद, सदस्यों को उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी ।
6. सदस्यों के मतदान अधिकार 27 अगस्त 2015 की निर्दिष्ट तारीख को कंपनी की चुकता साम्या शेयर पूँजी के उनके हिस्से के अनुपात में होंगे ।
7. कोई व्यक्ति जो नोटिस को भेजने के बाद कंपनी के शेयर अर्जित करते हैं और सदस्य बनते हैं और निर्दिष्ट तारीख यानी 27 अगस्त 2015 को शेयर धारित करते हैं, evoting@nsdl.co.in को अनुरोध भेजते हुए या एनएसडीएल के श्री राजीव रंजन को टॉल फ्री नंबर 1800222990 पर संपर्क करते हुए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं ।
8. कंपनी ने ई-मतदान की प्रक्रिया की उचित एवं पारदर्शी ढंग से छानबीन करने के लिए श्री तिरुपाल गोरिजे, एफसीएस 6680, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को स्क्रूटिनाइज़र नियुक्त किया है ।
9. वार्षिक सामान्य बैठक में, संकल्प जिन पर मतदान किया जाना है, के बारे में चर्चा की समाप्ति पर, अध्यक्ष, स्क्रूटिनाइज़र की सहायता से ऐसे सभी सदस्यों के लिए जो उपस्थित हैं लेकिन जिन्होंने सुदूर ई-मतदान सुविधा का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान नहीं किया है, मतपत्र के माध्यम से मतदान का आदेश देंगे ।
10. स्क्रूटिनाइज़र वार्षिक सामान्य बैठक में मतदान पूरा होने के तुरंत बाद, वार्षिक सामान्य बैठक में किए गए मतदान की गणना करेंगे और तदुपरांत कम से कम दो गवाह, जो कंपनी के नियोजन में नहीं हैं, की उपस्थिति में सुदूर ई-मतदान के माध्यम से किए गए मतदान को खोलेंगे । स्क्रूटिनाइज़र वार्षिक सामान्य बैठक की समाप्त के बाद अधिकतम तीन दिनों के भीतर, पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो, में डाले गए कुल मतों की समेकित स्क्रूटिनाइज़र रिपोर्ट कंपनी के अध्यक्ष को पेश करेंगे । अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति किए गए मतदान के नतीजों की घोषणा करेंगे ।

General Instructions

1. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and remote e-voting user manual for members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the phone No.022-24994600/1800222990.
2. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the 'Forgot Password' option available on the site to reset the password.
3. If you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.
4. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
5. The remote e-voting period commences on 31 August 2015 (9:00 A.M.) and ends on 2 September 2015 (5:00 P.M.). During this period Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on the Cut off date of 27 August 2015, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.
6. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut off date of 27 August 2015.
7. Any person who acquires shares of the company and becomes a member after dispatch of the notice and holding shares as on the Cut off date i.e. 27 August 2015, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or contact Mr Rajiv Ranjan of NSDL at toll free no. 1800222990.
8. The Company has appointed Mr Thirupal Gorige, FCS 6680, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
9. At the AGM, at the end of the discussion on the resolutions on which voting is to be held, the Chairman shall, with the assistance of the Scrutinizer, order voting through ballot paper for all those Members who are present but have not cast their votes electronically using the remote e-voting facility.
10. The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of voting at the AGM, count the votes cast at the AGM and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in employment of the Company. The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favor of or against, if any, not later than three days after the conclusion of the AGM to the Chairman of the Company. The Chairman, or any other person authorized by the Chairman, shall declare the result of the voting forthwith.

11. अध्यक्ष या उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा नतीजों की घोषणा करने के तुरंत बाद स्क्रूटिनाइज़र की रिपोर्ट के साथ-साथ इन नतीजों को कंपनी के वेबसाइट, www.bel-india.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर लगाए जाएँगे और इसकी सूचना बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को दी जाएगी ।

<u>सूचना का संलग्नक</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तारतम्य में व्याख्यात्मक विवरण ।

<u>मद सं. 5 के संबंध में</u>

चूँकि आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसके मंडल के निदेशक भारत सरकार (सरकार) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं ।

सरकार ने पत्र दिनांक 3 नवंबर 2014 द्वारा श्री जे. राम कृष्ण रॉव संयुक्त सचिव (ईएस), रक्षा मंत्रालय को आगे के आदेश दिए जाने तक, बीईएल के मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी निदेशक) नियुक्त किया ।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 161(1) तथा कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में, निदेशक मंडल ने श्री जे राम कृष्ण रॉव को अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक पदधारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है ।

तदुपरांत, कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के तहत सदस्यों से कंपनी के निदेशक के रूप में उपर्युक्त व्यक्ति की नियुक्ति का प्रस्ताव करने के अपने आशय को दर्शाते हुए लिखित सूचना और ₹ 100,000/- की जमा राशि प्राप्त की है ।

स्टाक एक्सचेंजों के सूचीकरण करार के अनुसार शेयरधारकों को अग्रेषित किए जाने हेतु आवश्यक, श्री जे. राम कृष्ण रॉव का संक्षिप्त जीवन-वृत्त संलग्न है । आपके निदेशक महसूस करते हैं नए निदेशकों के ज्ञान तथा समृद्ध अनुभव से कंपनी को अत्यधिक लाभ होगा और तदनुसार सूचना की मद सं. 5 में प्रस्तावित संकल्प पारित करने की संस्तुति करते हैं ।

कंपनी के कोई भी निदेशक (श्री जे. राम कृष्ण रॉव संयुक्त सचिव (ईएस), रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) तथा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार मद सं. 5 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबद्ध या इच्छुक नहीं है ।

<u>मद सं. 6 के संबंध में</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) जिसे 31 मार्च 2014 को अधिसूचित (तथा 1 अप्रैल 2014 से प्रभावी) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षकों के नियम), 2014 (नियम) के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार, कंपनी का निदेशक मंडल लेखा परीक्षा समिति, जो लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक की भी सिफारिश करेगी, की सिफारिश पर लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा । इस नियम की यह आवश्यकता भी बताई गई है कि लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन तदुपरांत सदस्यों द्वारा भी किया जाएगा ।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, बीईएल के निदेशक मंडल ने मे. पीएसवी एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, बेंगलूरु को इस संकल्प में यथा दर्शित

11. The result, along with the Scrutinizer's Report, will be placed on the Company's website, www.bel-india.com and on the website of NSDL immediately after the result is declared by the Chairman or any other person authorised by the Chairman, and the same shall be communicated to the Bombay Stock Exchange Limited and National Stock Exchange of India Limited.

<u>ANNEXURE TO THE NOTICE</u>

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 102 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

<u>In respect of item No. 5</u>

Your Company being a Government Company, the Directors on the Board are appointed by the Government of India (the Government).

The Government has vide its letter dated 3 November 2014 appointed Mr J Rama Krishna Rao, Joint Secretary (ES), Ministry of Defence as part-time official Director (Govt. Director) on the BEL Board till further orders.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors appointed Mr J Rama Krishna Rao, as Additional Director, to hold office upto the date of the next Annual General Meeting.

Subsequently, the Company has received notice in writing under Section 160 of the Act from a member signifying his intention to propose the appointment of above said person as Director of the Company and a deposit of ₹ 100,000/- has been received along with the notice.

Brief resume of Mr J Rama Krishna Rao, required to be forwarded to the Shareholders as per Listing Agreement with Stock Exchanges is enclosed. Your Directors feel that the Company would immensely benefit from the knowledge and rich experience possessed by the new Director and accordingly recommend the passing of the resolution proposed at item No. 5 of the Notice.

None of the Directors (other than Mr J Rama Krishna Rao, Joint Secretary (ES), Ministry of Defence) and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way concerned or interested in the resolution set out at item No. 5 of the notice of this meeting.

<u>In respect of item No. 6</u>

As per Section 148(3) of the Companies Act, 2013 read with Rule 14 of Companies (Audit and Auditors Rules), 2014 (the Rules) notified on 31 March 2014 (and effective from 1 April 2014) the Board of Directors of the Company shall appoint the Cost Auditor on the recommendation of the Audit Committee, which shall also recommend remuneration for the Cost Auditor. The rule also requires that the remuneration of the Cost Auditor shall be ratified by the members subsequently.

As recommended by the Audit Committee, BEL Board of Directors appointed M/s PSV & Associates, Cost Accountants, Bengaluru

निबंधनों /पारिश्रमिक पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी की लागत लेखा परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया है । अधिनियम की धारा 148(3) जिसे कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत यथा अपेक्षित, निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुसमर्थन के लिए सदस्यों के समक्ष पेश किया जाता है ।

कंपनी के कोई भी निदेशक तथा कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस बैठक की नोटिस के मद सं. 6 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबद्ध या इच्छुक नहीं है ।

मद सं. 7, 8 और 9 के संबंध में -

कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी ₹ 1,000,000,000 (रुपए एक सौ करोड़ मात्र) है जो ₹ 10 (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के 100,000,000 (दस करोड़ मात्र) ईक्विटी शेयरों में विभाजित है । कंपनी की अभिदत्त, जारी और चुकता पूँजी ₹ 800,000,000 (रुपए अस्सी करोड़ मात्र) है जो ₹ 10 (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के 80,000,000 (आठ करोड़ मात्र) ईक्विटी शेयरों में विभाजित है ।

चूँकि मंडल ने दिनांक 24 जुलाई 2015 को हुई अपनी बैठक में बोनस शेयर जारी करते हुए अपने मुक्त प्रारक्षण का पूँजीकरण करने का निर्णय लिया है, कंपनी की विद्यमान प्राधिकृत शेयर पूँजी को इस बैठक की नोटिस के संकल्प सं. 7 में निर्धारित रीति से ₹ 10 प्रत्येक के अतिरिक्त 150,000,000 ईक्विटी शेयर सृजित करते हुए ₹ 10 (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के ₹ 2,500,000,000 (रुपए दो सौ पचास करोड़ मात्र) जो ₹ 10 (रुपए दस मात्र) प्रत्येक के 250,000,000 (पच्चीस करोड़ मात्र) ईक्विटी शेयरों में विभाजित है, तक बढ़ाने का प्रस्ताव है । इस प्रकार, इस बढ़ोत्तरी से कंपनी बोनस इश्यू के माध्यम से अतिरिक्त पूँजी जारी कर सकेगी ।

प्राधिकृत शेयर पूँजी में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी के लिए संस्था के बहिर्नियम के विद्यमान खंड-V तथा संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद-5 में इस बैठक की नोटिस के संकल्प 8 और 9 में दी गई रीति अनुसार परिवर्तन करना होगा ।

विद्यमान संस्था के अंतर्नियम और संस्था के बहिर्नियम के साथ-साथ प्रस्तावित परिवर्तन को प्रतिबिंबित करते हुए संस्था के अंतर्नियम और संस्था के बहिर्नियम की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों में कार्यालयीन घण्टों के दौरान और वार्षिक सामान्य बैठक में भी सदस्यों के निरीक्षणार्थ रखी जाएगी ।

तदनुसार, मंडल नोटिस की मद सं. 7 में निर्धारित संकल्पों को सामान्य संकल्प के रूप में और मद सं. 8 और 9 को विशेष संकल्पों के रूप में सदस्यों द्वारा पारित किए जाने की सिफारिश करता है ।

कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके रिश्तेदार इस बैठक की नोटिस की मद सं. 7, 8 और 9 में निर्धारित संकल्पों से किसी भी प्रकार संबंधित या इच्छुक नहीं हैं ।

मद सं. 10 के संबंध में -

आपकी कंपनी के ईक्विटी शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं और वहां उनका लेनदेन किया जाता है । सदस्य यह जानते होंगे कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी का कामकाज उल्लेखनीय रुप से बढ़ा है जिससे बाज़ार

to conduct cost audit of the Company for the financial year 2015-16 on the terms / remuneration as indicated in the resolution. As required under Section 148(3) of the Act, read with Rule 14 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, the remuneration of the cost auditors, fixed by the Board of Directors, is placed before the members for ratification.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company or their relatives is in any way concerned or interested in the resolution set out at item No. 6 of the notice of this meeting.

In respect of item No. 7, 8 & 9:

The present Authorised Share Capital of the Company is ₹ 1,000,000,000 (Rupees one hundred crores only) divided into 100,000,000 (Ten crores only) Equity Shares of ₹ 10 (Rupees ten only) each. The Subscribed, Issued and paid up capital of the Company is ₹ 800,000,000 (Rupees eighty crores only) divided into 80,000,000 (Eight crores only) Equity Shares of ₹ 10 (Rupees ten only) each.

As the Board has in its Meeting held on 24 July 2015, decided to capitalize its free reserves by way of issuance of bonus shares, it is proposed to increase the present Authorised Share Capital of the Company to ₹ 2,500,000,000 (Rupees two hundred and fifty crores Only) divided into 250,000,000 (Twenty five crores only) Equity Shares of ₹ 10 (Rupees ten only) each by way of creation of additional 150,000,000 Equity Shares of ₹ 10 each in the manner as set out in Resolution no. 7 of the Notice of this meeting. Thus the increase shall enable the Company to issue further capital by way of Bonus Issue.

The proposed increase in Authorised Share Capital shall require alteration of existing Clause-V of the Memorandum of Association and Article-5 of Articles of Association of the Company in the manner as set out in Resolution no. 8 & 9 of the Notice of this meeting.

A copy of the Memorandum of Association and Articles of Association reflecting the proposed amendment together with the existing Memorandum and Articles of Association shall be open for inspection at the Registered Office of the Company during office hours on all working days and is also available for inspection by the Members at the AGM.

Accordingly, the Board recommends passing of the resolutions set forth in Item no. 7 of the notice as an Ordinary Resolution and Item Nos. 8 and 9 as Special Resolutions by the Members.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives is in any way concerned or interested, in the resolutions set forth in Item Nos. 7, 8 and 9 of the Notice of this Meeting.

In respect of item No. 10 :

The equity shares of your Company are listed and actively traded on the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited. The Members may be aware that the operation of the Company has

में कंपनी के ईक्विटी शेयरों में रुचि अत्यधिक बढ़ी है । इसके अलावा, सामान्य आर्थिक परिवेश के सकारात्मक होने से कंपनी के शेयरों का बाज़ार मूल्य भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है । यथा 31 मार्च 2015 के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के कुल प्रारक्षण और अधिशेष ₹ 780,502.89 लाख हैं । कंपनी के प्रारक्षण और अधिशेषों की स्थिति पर विचार करते हुए तथा स्टॉक बाज़ार में कंपनी के शेयरों की तरलता में सुधार करने और छोटे निवेशकों के लिए वहनीय बनाने के उद्देश्य से, कंपनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 24 जुलाई 2015 को हुई अपनी बैठक में 2:1 (धारित प्रत्येक शेयर के लिए दो बोनस शेयर) के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश करने पर विचार किया ।

ऐसे पूर्ण चुकता बोनस शेयर कंपनी के उन सदस्यों को वितरित किए जाएंगे जिनके नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या बोनस शेयरों को जारी करने के प्रयोजनार्थ आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित की जाने वाली रिकार्ड तारीख पर, अपने संबंधित डिपाज़िटरी सहभागियों के तत्संबंधी हिताधिकारी खातों में प्रकट होंगे ।

इस तरह आबंटित बोनस शेयर कंपनी के विद्यमान ईक्विटी शेयरों पर लाभांश सहित हर प्रकार से साथ-साथ श्रेणीकृत होंगे । बोनस शेयरों का प्रस्तावित इश्यू कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे और ऐसे अनुमोदनों की शर्त पर होंगे जो सांविधिक प्राधिकारियों की अपेक्षा अनुसार होंगे । इसके अलावा, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, तथा / या कोई अन्य विनियामक या सांविधिक प्राधिकरण जो बोनस शेयरों के जारी करने से संबंधित हैं, द्वारा निर्धारित सभी विनियामक औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए निदेशक मंडल / मंडल की समिति को प्राधिकृत करना ज़रूरी है ।

तदनुसार, मंडल मद सं. 10 में निर्धारित संकल्प को सदस्यों द्वारा सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने की सिफारिश करता है ।

कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक तथा उनके रिश्तेदार इस बैठक की नोटिस की मद सं. 10 में निर्धारित संकल्पों से किसी भी प्रकार संबंधित या इच्छुक नहीं हैं ।

<u>स्टॉक एक्सचेंजों के सूचीकरण करार के खण्ड 49 के तहत यथा अपेक्षित, नियुक्ति / पुनःनियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत्त</u>

निदेशकों की पुनःनियुक्ति

श्री पी आर आचार्या (डीआईएन - 06683267)

श्री पी आर आचार्या ने 2 सितंबर 2013 को निदेशक (वित्त) का कार्यभार संभाला । उन्हें भारत सरकार में कार्य करने का लगभग 29 वर्षों का अनुभव है । श्री आचार्या ने अपने करियर की शुरुआत तात्कालीन डीसीएम लि. से की और उसके बाद ओएनजीसी में कार्य किया । उन्होंने 1985 में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में कार्यग्रहण किया । तब से, उन्होंने सार्वजनिक नीति, वित्त, कार्मिक, प्रशासन तथा चूक प्रबंधन में व्यापक विशेषज्ञता के साथ विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया । उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण के वित्त सदस्य; संयुक्त सचिव (वित्त), नेटग्रिड, गृह मंत्रालय; प्रधान निदेशक (अंतर्राष्ट्रीय संबंध), भारतीय सी एंड एजी कार्यालय; महालेखाकार (लेखा परीक्षा), पश्चिम बंगाल; लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक तथा पदेन सदस्य, लेखा

grown significantly during the last few years, which has generated considerable interest in the Company's Equity Shares in the Market. This coupled with the general positive economic environment, the market price of the Company's shares have also increased significantly. The total Reserves and Surplus of the Company as per the Audited Financial Statements as at 31 March 2015 are ₹ 780,502.89 lakhs. Considering the position of Reserves and Surplus of the Company and in order to improve the liquidity of the Company's shares in the stock market and to make it affordable to the small investors, the Board of Directors of the Company at their meeting held on 24 July 2015 considered it desirable to recommend issue of Bonus Shares in the ratio of 2:1 (two bonus shares for every share held).

Such Fully Paid-up Bonus Shares shall be distributed to the Members of Company, whose names shall appear on its Register of Members or in the respective beneficiary account with their respective Depository Participants, on the Record Date to be determined by the Board of Directors of your Company for the purpose of issue of Bonus Shares.

The Bonus Shares so allotted shall rank pari passu in all respects including dividend with the existing equity shares of the Company. The proposed issue of Bonus Shares will be made in accordance with the provisions of Companies Act, 2013 and guidelines issued by the Securities Exchange Board of India from time to time and subject to such approvals, as may be required, from the statutory authorities. Further, it is necessary to authorise the Board of Directors /Committee of the Board to complete all the regulatory formalities prescribed by SEBI, Stock Exchanges on which the shares of the Company are listed and / or any other regulatory or statutory authority in connection with the issue of Bonus Shares.

Accordingly, the Board recommends passing of the resolutions set forth in Item No. 10 as an Ordinary Resolution by the Members.

None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives is in any way concerned or interested, in the resolutions set forth in Item No. 10 of the Notice of this meeting.

<u>BRIEF RESUME OF DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT/ REAPPOINTMENT, AS REQUIRED UNDER CLAUSE 49 OF THE LISTING AGREEMENT WITH STOCK EXCHANGES</u>

RE-APPOINTMENT OF DIRECTORS

Mr P R Acharya (DIN - 06683267)

Mr P R Acharya took charge as Director (Finance) on 2 September 2013. He has nearly 29 years of work experience with the Government of India. Mr Acharya started his career with the then DCM Ltd. and went on to work for ONGC. He joined the Indian Audit and Accounts Service in 1985. Since then, he has handled diverse roles with broad-based expertise in public policy, finance, personnel, administration and oversight management. He has served as Finance Member of the Delhi Development Authority; Joint Secretary (Finance), NATGRID, Ministry of Home Affairs; Principal Director (International Relations), O/o C&AG of India; Accountant General (Audit), West Bengal; Principal Director of Audit & Ex-Officio

परीक्षा बोर्ड, कोलकाता; भारतीय उच्चायोग में काउंसलर, लंदन; सहायक (कार्मिक) एवं निदेशक सी एंड एजी (कार्मिक) ; तथा भू परिवहन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान की । वे आईआईएफटी, नई दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में एमबीए हैं, सीएलसी, दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं, उत्कल विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर तथा भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली से श्रम विधि में डिप्लोमा धारक हैं । श्री पी आर आचार्या बीईएल में कोई शेयर धारण नहीं करते ।

कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को छोड़कर) जिनमें श्री पी आर आचार्या निदेशक और समिति सदस्य हैं -

निदेशक -

जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड
बीईएल-थेलेस सिस्टम्स लिमिटेड

मंडल की समितियों के अध्यक्ष - कोई नहीं

मंडल की समितियों में सदस्य -

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड	-	लेखा परीक्षा समिति
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड	-	नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड	-	सीएसआर समिति
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड	-	निवेश समिति
जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड	-	लेखा परीक्षा समिति
जीई बीई प्राइवेट लिमिटेड	-	सीएसआर समिति

ले. जन. सी ए कृष्णन (डीआईएन - 05126607)

ले. जन. सी ए कृष्णन, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उप थलसेनाध्यक्ष (योजना एवं प्रणाली) तथा रेजिमेंट 4 गोरखा रायफल्स के कर्नल को दिनांक 1 मई 2014 से प्रभावी करते हुए बीईएल के मंडल में अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी निदेशक) नियुक्त किया गया है । ले. जनरल कृष्णन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवास्ला के पूर्व-विद्यार्थी हैं । उन्हें 13 जून 1976 को 4 गोरखा रायफल्स (चिनडिट्स) में कमीशन प्रदान किया गया । अपने लंबे सेवा करियर के दौरान वे भारतीय थलसेना में सभी स्तरों पर विभिन्न प्रकार की कमान, स्टाफ़ और अनुदेशात्मक समनुदेशनों को पूरा किया और विभिन्न अनुदेशात्मक पाठ्यक्रमों में भाग लिया जिनमें रक्षा सेवा स्टाफ़ पाठ्यक्रम, उच्चतर कमान तथा राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज शामिल हैं । इस जनरल अधिकारी ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक बटालियन की कमान संभाली, 'आपरेशन रक्षक' (जम्मू-कश्मीर) में इफेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली, मणिपुर राज्य में 'आपरेशन हिफाज़त' में असम रायफल्स (दक्षिण) के महानिरीक्षक थे और असम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों में 'आपरेशन राइनो' तथा 'आपरेशन फॉल्कन' में 4 कोर के जनरल अफ़सर कमांडिंग थे । वे फोर्थ गोरखा रायफल्स के कर्नल हैं । उन्हेंअति विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए गए हैं । वे रक्षा अध्ययन में स्नातकोत्तर हैं और उच्चतर रक्षा प्रबंध एवं रणनीतिक अध्ययन में एम.फिल हैं । वे पत्रकारिता में और साथ ही नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटि, बेंगलूर से मानवाधिकार कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक भी हैं । ले. जन. कृष्णन किसी अन्य कंपनी के मंडल/की समिति में नहीं हैं और वे बीईएल में कोई शेयर धारण नहीं करते ।

Member Audit Board, Kolkata; Counsellor in the High Commission of India, London; Assistant (Personnel) & Director C&AG (Personnel); and Deputy Secretary in the Ministry of Surface Transport. He is an MBA in International Business from IIFT, New Delhi, a Law Graduate from CLC, Delhi University, a Post Graduate from Utkal University, and Diploma holder in Labour Laws from the Indian Law Institute, New Delhi. Mr P R Acharya does not hold any shares in BEL.

Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mr P R Acharya holds Directorship and Committee Membership.

Directorship:

GE BE Private Limited
BEL Optronic Devices Limited
BEL-THALES Systems Limited

Chairperson of Board Committees: Nil

Member of Board Committees:

BEL Optronic Devices Limited	-	Audit Committee
BEL Optronic Devices Limited	-	Nomination and Remuneration Committee
BEL Optronic Devices Limited	-	CSR Committee
BEL Optronic Devices Limited	-	Investment Committee
GE BE Private Limited	-	Audit Committee
GE BE Private Limited	-	CSR Committee

Lt. Gen. C A Krishnan (DIN - 05126607)

Lt. Gen. C A Krishnan, UYSM, AVSM, Deputy Chief of Army Staff (Planning & System) and Colonel of the Regiment 4 Gorkha Rifles, has been appointed as part-time official Director (Government Director) on BEL Board w.e.f. 1 May 2014. Lt. Gen. C A Krishnan is an alumni of the National Defence Academy, Khadakwasla. He was commissioned into the 4th Gorkha Rifles (CHINDITS) on 13 June 1976. During his long service career, he has held a variety of command, staff and instructional assignments at all levels in the Indian Army and has attended various courses of instructions that include, Defence Services Staff Course, Higher Command and National Defence College. The General Officer commanded a battalion on the line of control in J&K, an Infantry Brigade in 'OP RAKSHAK' (J&K) and was Inspector General Assam Rifles (South) in 'OP HIFAZAT' in the State of Manipur and General Officer Commanding 4 Corps in 'OP RHINO' and 'OP FALCON' in the States of Assam and Arunachal Pradesh. He is the Colonel of the Fourth Gorkha Rifles. He is a receipient of Ati Vishisht Seva Medal and Uttam Yudh Seva Medal. He is a post graduate in Defence Studies and M Phil in Higher Defence Management and Strategic Studies. He also holds a post graduate Diploma in Journalism as well as in Human Rights Laws from the National Law School of India University, Bengaluru. Lt. Gen. C A Krishnan is not on the Board/Committee of any other Company and he does not hold any shares in BEL.

निदेशक की नियुक्ति

श्री जे राम कृष्ण राव (डीआईएन - 03288804)

श्री जे राम कृष्ण राव 1985 बैच के बिहार काडर के भाप्रसे अधिकारी हैं । वे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरी में बी.टेक डिग्री धारक और औद्योगिक इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक हैं । उन्हें 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है जिसमें उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकारों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है । उनके द्वारा धारित कुछेक पदों में शामिल हैं - अध्यक्ष, बिहार पुलिस सेवा आयोग, परीक्षा नियंत्रक, बिहार सम्मिश्रित प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा मंडल, परियोजना निदेशक / आयुक्त, कोशी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण बोर्ड, सलाहकार, राज्य योजना मंडल, बिहार, उप महानिदेशक, यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथारिटी ऑफ़ इंडिया, सीवीओ, र.मं., विशेष सचिव, कार्मिक एवं ए.आर. विभाग, तथा संयुक्त सचिव, आं.प्र. औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम । श्री जे राम कृष्ण राव बीईएल में कोई शेयर धारण नहीं करते ।

कंपनियाँ (भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को छोड़कर) जिनमें श्री जे राम कृष्ण राव निदेशक और समिति सदस्य हैं

निदेशक -
भारत डायनामिक्स लिमिटेड

मंडल की समितियों में अध्यक्ष -
भारत डायनामिक्स लिमिटेड - लेखा परीक्षा समिति
भारत डायनामिक्स लिमिटेड - पारिश्रमिक समिति
भारत डायनामिक्स लिमिटेड - सीएसआरपी और एसडी की निगरानी संबंधी समिति

मंडल की समितियों में सदस्य-
भारत डायनामिक्स लिमिटेड - लेखा परीक्षा समिति
भारत डायनामिक्स लिमिटेड - पारिश्रमिक समिति

मंडल के आदेशानुसार,
कृते **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड**

बेंगलूरु
24 जुलाई 2015

एस श्रीनिवास
कंपनी सचिव

APPOINTMENT OF DIRECTOR

Mr J Rama Krishna Rao (DIN - 03288804)

Mr J Rama Krishna Rao is a 1985 batch Bihar cadre IAS Officer. He has a B Tech degree in Electronics & Communication Engineering and holds a PG Diploma in Industrial Engineering. He has over 27 years of experience, having held several important posts at the Centre and in the States. Some of the posts held by him in the past are: Chairman, Bihar Public Service Commission; Examination Controller, Bihar Combined Entrance Competitive Exam Board; Project Director / Commissioner, Koshi Rehabilitation and Reconstruction Project; Consultant, State Planning Board, Bihar; Dy Director General, Unique Identification Authority of India; CVO, MoD; Special Secretary, Personnel & AR Dept; and Joint Secretary, AP Industrial Infrastructure Development Corporation. Mr J Rama Krishna Rao does not hold any shares in BEL.

Companies (other than Bharat Electronics Limited) in which Mr J Rama Krishna Rao holds Directorship and Committee Membership.

Directorship:
Bharat Dynamics Limited

Chairperson of Board Committees:
Bharat Dynamics Limited- Audit Committee
Bharat Dynamics Limited- Remuneration Committee
Bharat Dynamics Limited- Committee for Monitoring CSRP & SD

Member of Board Committees:
Bharat Dynamics Limited- Audit Committee
Bharat Dynamics Limited- Remuneration Committee

By order of the Board,
For **Bharat Electronics Limited**

Bengaluru
24 July 2015

S Sreenivas
Company Secretary

एजीएम स्थल के लिए बीएमटीसी बस

केम्पेगौड़ा बस स्टॉप से

284 सीरीज़, 286 सीरीज़, 287 सीरीज़, 288 सीरीज़
(शिवानंद बस स्टॉप पर उतरें)

शिवाजीनगर बस डिपो से

63 सीरीज़
(शिवानंद बस स्टॉप पर उतरें)

BMTC BUS TO AGM VENUE

From Kempegowda Bus Stop :

284 series, 286 series, 287 series, 288 series
(Alight at Shivananda Bus Stop)

From Shivajinagar Bus Depot

63 series
(Alight at Shivananda Bus Stop)

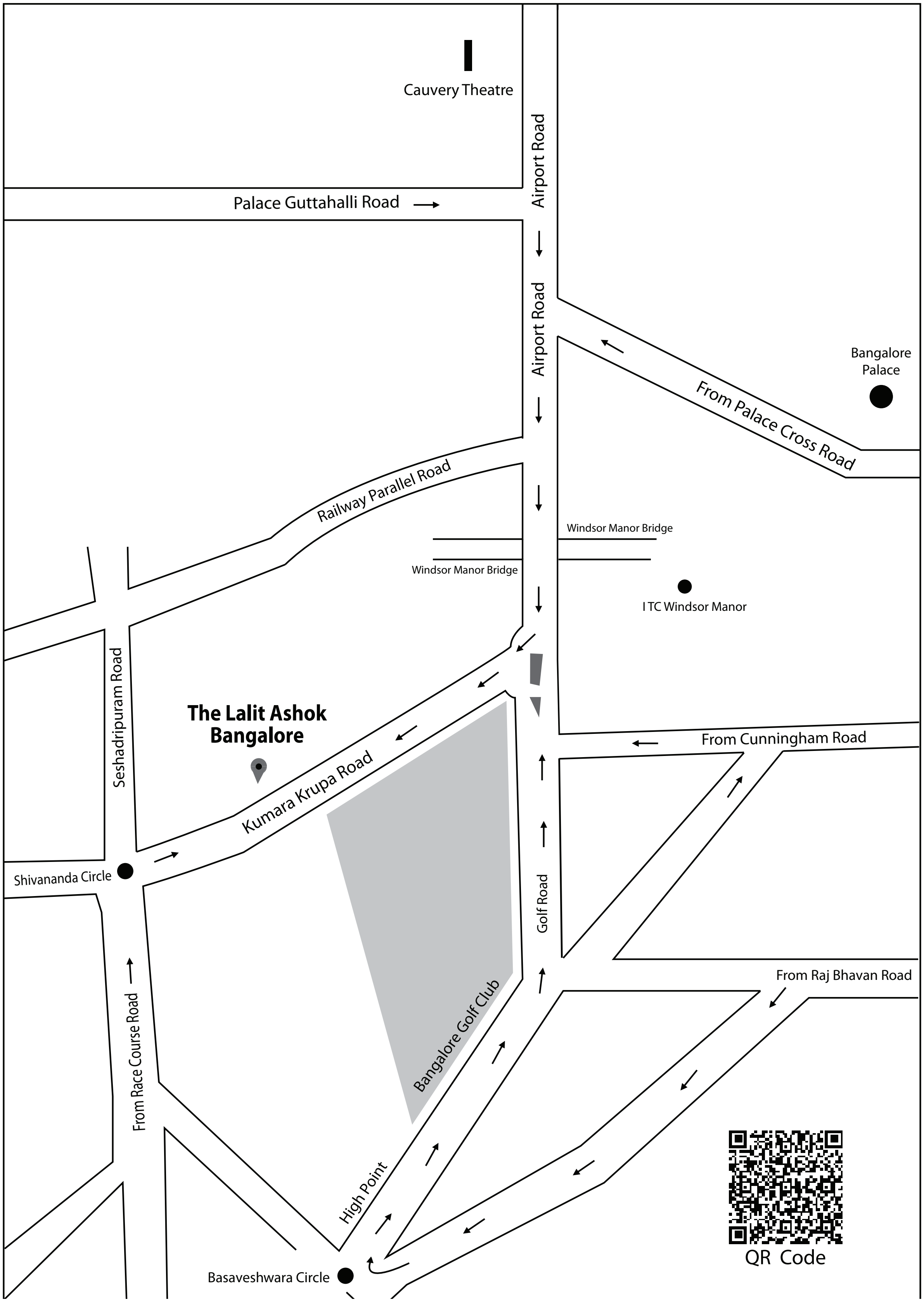
Cauvery Theatre
Airport Road
Palace Guttahalli Road
Airport Road
Bangalore Palace
From Palace Cross Road
Railway Parallel Road
Windsor Manor Bridge
Windsor Manor Bridge
I TC Windsor Manor
Seshadripuram Road
The Lalit Ashok Bangalore
Kumara Krupa Road
From Cunningham Road
Shivananda Circle
Golf Road
From Raj Bhavan Road
From Race Course Road
Bangalore Golf Club
High Point
Basaveshwara Circle
QR Code